

प्रभारी अधिकारी: श्री एस एम झा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी
इंटरकोम सं०. 126 ई मेल आइ डी: fundreview.pcdand@nic.in

यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:-

कार्य:

1. **सा.भ.नि.(जी पी एफ) खाता संख्या का आबंटन:** प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा डी ओ पी टी 2 आदेश अधिसूचना विवरण के साथ विधिवत रूप से एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारी से आवेदन प्राप्त होने पर जी पी एफ खाता संख्या का आबंटन किया जाता है।
2. **नामांकन:** अभिदाता की मृत्यु होने पर जी पी एफ संचय के निपटान को सरल बनाने हेतु नामांकन आवश्यक है। सभी अभिदाताओं द्वारा आबंटन हेतु दिये गये आवेदन – पत्र के साथ ही नामांकन निर्धारित फार्म भरकर दिया जाना चाहिए तथा इसका सुरक्षित अभिलेख किया जाना चाहिए।
3. **अग्रिम एवं निकासी हेतु भुगतान प्रक्रिया:** उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूरी मिलने के पश्चात, अभिदाता से निर्धारित फार्म पर आवेदन के साथ विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल पर लेखा अधिकारी से एक प्राधिकरण पर राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. **जी पी एफ परिसम्पत्तियों का अंतिम निपटान:** र.ले.प्र.नि, नई दिल्ली का निधि समीक्षा अनुभाग (एफ आर), सी ए ओ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभिदाताओं/मनोनीत व्यक्ति से प्राप्त अंतिम निपटान कागजातों की प्राप्ति होने के उपरांत अभिदाता को जी पी एफ परिसम्पत्तियों के भुगतान के लिये उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व की निर्वहन सी ए ओ तथा वेतन अनुभाग की सहायता से किया जाता है।

अंतिम निपटान के प्रकार:

1. अधिवार्षिता के मामले में ,कागजात पहले से ही प्रस्तुत किये जाते हैं।
2. अन्य मामले जैसे, स्वैच्छित सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा मृत्यु होने पर कागजात बाद में प्रस्तुत किये जाते हैं।

बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यूज) -

प्र. जी पी एफ विवरणी में नियमित वेतन बिल (आर पी बी) द्वारा वसूले जी पी एफ अंशदान किस माह में परिलक्षित होगा?

उत्तर. जी पी एफ विवरणी में नियमित वेतन बिल द्वारा वसूले जी पी एफ अंशदान बाद के माह में परिलक्षित होगा।

प्र. किस माह से अंशदान पर ब्याज प्रभावी होगा?

उत्तर. आर पी बी के मामले में जी पी एफ अंशदान पर ब्याज का भुगतान अगले माह से होगा तथा प्रतिनियुक्ति पर अंशदाता द्वारा अग्रोषित मामले में , ब्याज अगले माह से दिया जाएगा यदि लेखा अधिकारी द्वारा इसे माह के पांचवे दिन से पहले प्राप्त किया गया हो। परन्तु यदि यह माह के पांचवे दिन पर या उसके बाद में प्राप्त होता है ,तो ब्याज का भुगतान इसके अगले माह से किया जाएगा।

र. अभिदान की न्यूनतम एवं उच्चतम दरें क्या हैं?

उत्तर. एक सरकारी कर्मचारी अपने जी पी एफ में कुल परिलब्धियों का न्यूनतम 6% तथा अपने कुल परिलब्धियों से अधिक का अभिदान नहीं कर सकता है।

प्र. जी पी एफ पर वर्तमान ब्याज की दर क्या है?

उत्तर. जी पी एफ पर वर्तमान ब्याज की दर 8 % है।

प्र. एक निधि खाते को दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर. अभिदाता द्वारा विधिवत भरे हुए स्थानांतरण प्रफोर्मा के आधार पर इस कार्यालय के लेखा परीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत पिछले कार्यालय द्वारा अग्रेषित कर के किये जाते हैं।

प्र. इसके स्थानांतरण पर जी पी एफ शेष पर किस अवधि तक ब्याज दिया जाएगा?

उत्तर. अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरण के मामले में, पूर्वगामी माह के अंत में ब्याज का भुगतान किया जाएगा जहां से ये शेष स्थानांतरित किये गये हैं। मंत्रालय के अन्दर के मामलों में अर्थात्, रक्षा अंतर्विभागीय स्थानांतरण मामलों में, ब्याज का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाएगा।

प्र. डी आल आइ एस क्या है तथा इसके भुगतान किये जाने की क्या शर्तें हैं?

उत्तर. डी आल आइ एस से अभिप्राय है जमा समबद्ध बीमा योजना। अंशदाता की मृत्यु होने पर उसके परिवार को डी आल आइ एस दिया जाता है। डी आल आइ एस की अधिकतम सीमा 60,000/-रुपये है।

प्र. विवरण में आयी विसंगतियों का कैसे निपटान/परिशोधन किया जाता है?

उत्तर. प्रफोर्मा में विधिवत अधिसूचित विसंगतियां जोकि सी ए ओ द्वारा मार्गदर्शित हो, का अनुसूची के साथ सत्यापन कर निपटान किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा तथा इसका प्रदर्शन अगले वित्तीय वर्ष के विवरण में अप्रैल के कालम में किया जाएगा।